भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 917
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में उड़ान योजना का विस्तार

917. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए केरल में उड़ान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में उड़ान योजना के तहत स्वीकृत, प्रचालित और बंद किए गए मार्गों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उड़ान योजना के आगामी चरणों के तहत अतिरिक्त गंतव्यों को शामिल करने के लिए केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) अल्पसेवित क्षेत्रों में किफायती हवाई संपर्क और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान के तहत, क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए आरसीएस उड़ान सेवाओं के परिचालन हेतु केरलम के एक हवाईअड्डे, अर्थात् कन्नूर की पहचान की गई है। केरलम में आरसीएस-उड़ान योजना के तहत कुल 20 मार्ग परिचालित किए गए हैं, जिनमें से 12 मार्ग वर्तमान में प्रचालनरत हैं।

'उड़ान' योजना के अगले चरण के रूप में, सरकार ने केरल सहित देशभर में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में और अधिक संवर्धन के लिए दिनांक 04.07.2026 को संशोधित उड़ान योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 120 नए असेवित और अल्पसेवित गंतव्यों को शामिल करना और 4 करोड़ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना में राज्यों द्वारा नामित हवाईअड्डों के विकास के लिए 'चैलेंज मोड' फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है।

'उड़ान' योजना, आरसीएस मार्गों के परिचालन के लिए परिचालन लागत को कम करने और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा विस्तारित रियायतों के माध्यम से चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके किफायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, चयनित एयरलाइन प्रचालकों को लगभग 50% सीटें आरसीएस सीटों के रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसमें वीजीएफ के माध्यम से समर्थित सीटों के लिए लागू हवाई किराये की सीमा निर्धारित की गई है।
